उत्तर प्रदेश शासन

नगरीय रोजगार एवं गरीबी

उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग।

संख्या-827/2015/2212/69-1-2015-102(सा0)/1997

लखनऊ : दिनांक: 14 सितम्बर, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में श्री राज्यपाल वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के अध्याय-11 में दी हुई शर्तों पर नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के अधीन राज्य स्तर पर गठित एक प्रकोष्ठ में वाहन चालक के पद पर तैनात श्री देशराज सिंह को मोटर साईकिल/स्कूटर/मोपेड वाहन क्रय करने हेतु धनराशि रू0 24000.00 (रूपये चौबीस हजार मात्र) अग्रिम के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. यदि क्रय किये जाने वाले वाहन की कीमत स्वीकृत धनराशि से कम हो, तो शेष धनराशि शासन को तुरन्त वापस कर दी जायेगी।
2. यदि अग्रिम का पूरा या कोई भाग उपयोग में नहीं लाया जाता है, तो उस भाग को शासन को तुरन्त वापस कर दिया जायेगा।
3. स्वीकृत अग्रिम की वसूली वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-245 (डी) व प्रस्तर-246 (3) में दी गयी रीति के अनुसार रू0 1000.00 प्रतिमाह की 24 किश्तों में वसूल की जायेगी।
4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-3-1691/दस-2015-20(12)/15-मो0वा0 दिनांक 25.08.2015 में निहित शर्त के अनुसार मोटर साईकिल/स्कूटर/मोपेड अग्रिमों पर ब्याज की दर अन्तिम रूप से 11.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष होगी, किन्तु नियमित रूप से ऋण/ब्याज के प्रतिदान/भुगतान किये जाने पर ब्याज में 2.5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
5. अग्रिम की धनराशि की कटौती अग्रिम के आहरण के तुरन्त बाद अग्रिमी के देय वेतन से प्रारम्भ होगी। सम्पूर्ण मूलधन की अदायगी के तुरन्त बाद उक्त अग्रिम पर देय ब्याज की वसूली की जायेगी, जो साधारणतया मूलधन की मासिक किश्त से अधिक न होगी।
6. उक्त अग्रिम से मोटर साईकिल/स्कूटर/मोपेड का क्रय किराया क्रय पद्धति (हायर परचेज) अथवा किश्तों द्वारा नहीं किया जायेगा।
7. मोटर साईकिल/स्कूटर/मोपेड के क्रय करने की तिथि से एक माह के अन्दर अग्रिमी द्वारा उसका समाविष्ट बीमा कराया जायेगा, जो उस अवधि तक जारी रहेगा, जबतक कि अग्रिम की मूलधन धनराशि तथा उसपर देय ब्याज की वसूली न हो जाय। बीमा की धनराशि किसी भी समय बकाया मूलधन तथा देय ब्याज की धनराशि से कम नहीं होगी।
8. बीमा पालिसी तथा उक्त अभिलेख, जिससे यह ज्ञात हो सके कि मोटर साईकिल/स्कूटर/मोपेड का बीमा कराया गया है, महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद को प्रमाण-पत्र भेजने के लिए अग्रिमी द्वारा शासन को दिया जायेगा और यह भी प्रमाण-पत्र दिया जायेगा कि मोटर साईकिल/स्कूटर/मोपेड का वास्तविक मूल्य क्या है तथा यदि कोई अवशेष धनराशि बची हो, तो उसकी जमा करने की तिथि आदि भी दी जायेगी।

2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

9. अग्रिमी की सेवानिवृत्ति के पूर्व शासन द्वारा आदेश दिये जाने अथवा स्वयं अपनी इच्छा से सेवानिवृत्त होने की दशा में अग्रिम की शेष मूल धनराशि तथा ब्याज उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि को एकमुश्त देय हो जायेगी और शासन इस बात के लिए सक्षम होगा कि वह इस देय धनराशि को जिस प्रकार चाहे वसूल कर ले।

2. अग्रिमी श्री देशराज सिंह, वाहन चालक का वर्तमान में पे-बैण्ड में वेतन रू0 11,030.00 एवं ग्रेड वेतन रू0 2,800.00 मात्र है।

3. उपरोक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में वित्त विभाग की अनुदान संख्या-61 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-"7610-सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि-आयोजनेत्तर-202-मोटर वाहन का क्रय करने के लिए अग्रिम-03-राज्य कर्मचारियों को मोटर वाहन क्रय करने के लिए अग्रिम-30-निवेश/ऋण" के नामे डाला जायेगा।

एच0पी0 सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-827/2015/2212(1)/ 69-1-2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. नगर विकास अनुभाग-5/8, उत्तर प्रदेश शासन।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3 को उनके कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-3-1691/दस-2015-20(12)/15-मो0वा0 दिनांक 25 अगस्त, 2015 के सन्दर्भ में।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उत्तर प्रदेश शासन।
7. मुख्य कोषाध्यक्ष, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. श्री देशराज सिंह, वाहन चालक।
9. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(शशिकान्त कनौजिया)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in